**संख्या-143/2016/245/22-2-2016-17(105)/2016**

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र पुत्र श्री नरायन, निवासी जनपद-बुलन्दशहर हाल जिला गौतमबुद्धनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2563/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/22-12-2015 दिनांक 25-01-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी वीरेन्द्र पुत्र श्री नरायन निवासी ग्राम-लौदाना, थाना-जेबर, जनपद- बुलन्दशहर हाल जिला गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दीवार के सहारे लडोनी बनाने के विवाद को लेकर दिनांक 31.10.1982 को 22 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एक नाली बन्दूक, दो नाली बन्दूक, देशी कट्टे व लाठियों से 03 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-627/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 307/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 18-07-1984 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 14 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्चतम नयायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 04 सहअभियुक्तों की मृत्यु तथा 02 सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.09.2015 तक 12 वर्ष 04 माह 24 दिन की अपरिहार एवं 16 वर्ष 06 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना है, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी अख्या में कहा गया है कि बन्दी को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है सजा पूर्ण होने पर रिहा किया जाय। बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी वीरेन्द्र (बन्दी संख्या-8752) पुत्र श्री नरायन, निवासी जनपद- बुलन्दशहर हाल जिला गौतमबुद्धनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

**संख्या-143/2016/245/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in